

19.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी का गांव मे पचायती सदस्यो द्वारा आपसी राजीनाम करवाया दिया गया है। इसलिए वाद अपने वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता। वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज (ड्राप) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत मे विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*Wang*

